न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 76 / 2023

प्रार्थी :– रूपाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल, निवासी बगीया चारणान रिछोली, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. चुन्नीदेवी पत्नी गजाराम
2. चौथाराम पुत्र चुनाराम
3. देवाराम पुत्र चुनाराम
4. भलाराम पुत्र चुनाराम
5. लाली पत्नी चुनाराम, जाति मेघवाल
6. जुसब खां पुत्र मीर खां जाति मुंसलमान
7. सुमार खां पुत्र मीर खां
8. जीनू पत्नी अमू खां
9. निवासी पुत्री अमू खां
10. सतार खां पुत्र अमू खां
11. हासन खां पुत्र अमू खां
12. गुलाम खां पुत्र अमू खां
13. मोमदा पुत्र दीनू खां
14. अबदा पुत्र दीनू खां
15. रेहमत खां पुत्र पुत्र हाजी खां
16. सरीफ खां पुत्र हाजी खां
17. सुबी पत्नी हाजी खां जातियान मुसलमान
18. कमला पत्नी जेठाराम
19. कमला पत्नी बुधाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

20. केहराराम पुत्र पदमाराम

21. गजेन्द्र पुत्र हुकमाराम

22. चनणाराम पुत्र हुकाराम

23. दिलीप पुत्र समाराम

24. पोकरराम पुत्र रायधन

25. बींजाराम पुत्र रामाराम

26. भूराराम पुत्र रामाराम

27. मगाराम पुत्र मानाराम

28. सुरेश पुत्र केहराराम

29. सालगराम पुत्र सम्माराम

30. हुकमाराम पुत्र पदमाराम

31. हरकू पत्नी समाराम सभी जातियान मेघवाल

32. गेनाराम पुत्र भीमाराम

33. देवाराम पुत्र चैनाराम

34. प्यारी पत्नी चैनाराम

35. वरजू पत्नी भीमाराम

36. भंवराराम पुत्र भीमाराम सभी जातियान प्रजापत, निवासीयान बगिया चारणान रिछोली, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

37. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत प[illegible]ढी व[illegible]

नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री रूघाराम कड़वासरा , प्रार्थी अधिवक्ता

2. विप्रार्थी संख्या 1 से 37 एक पक्षीय

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

'आदेश' दिनांक :– 5.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा बगीया चारणान, पटवार हल्का रिछोली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 3.3022 हेक्टेयर में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया, विप्रार्थी संख्या 1 ता 23, 25 ता 27, 29, 31 ता 38 बावजूद सूचना अनुपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 ता 23, 25 ता 27, 29, 31 ता 38 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी संख्या 24, 28 व 30 के नोटिस अपूर्ण पते की टिप्पणी अंकित के साथ पुनः प्राप्त हुए। प्रार्थी प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 28 सुमेराराम की फौत होना बता कर तर्क किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि सरहद मौजा बगीया चारणान, पटवार हल्का रिछोली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 3.3022 हेक्टेयर आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण

भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी [illegible] मींढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी [illegible] दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और [illegible] लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद [illegible] बगीया चारणान, पटवार हल्का रिछोली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाटोदी , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 3.3022 हेक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:08 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हमने प्रार्थी वकील की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि सरहद मौजा बगीया चारणान, पटवार हल्का रिछोली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 3.3022 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड नोटिस बावजूद सूचना हाजिर नही होने से इनकी ओर मौन स्वीकृति प्रकट होना प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नही होती है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बगीया चारणान, पटवार हल्का रिछोली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खेत खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 3.3022 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमाज्ञान कर कच्ची नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे व विप्रार्थी संख्या 24 व 30 के नोटिस अपूर्ण पते सूचना अंकित कर पुनः प्राप्त होना अन्तिम ज्ञात होने से भू.अ.नि. पाटोदी को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी संख्या 24 व 30 को न्याय हित मे सूचित सूचित करे । मौका कमिश्नर शुल्क 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:08 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 05.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा